| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**रामधन बनाम राजस्थान सरकार**<br>**अपील संख्या 484/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00360)** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| 12.09.23 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2020 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी अनुपस्थित रहे है और आज भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(अन्तरसिंह नेहरा)<br>संभागीय आयुक्त,<br>जयपुर। | |